सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढ़ारकर अति0 महाप्रबंधक (मा.सं.) छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0,रायपुर
दूरभाष क्र. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 17/2016 दिनांक 27.10.2016

O/o CE (EITC)
Receipt No. 6207
Date 21 DEC 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE..Web
Section ....

श्री जयगोपाल सोनी
फ्लैट नंबर– 5274
विजया गार्डन्स, बारीडीह
जमशेदपुर– 831017 अपीलार्थी

विरूद्ध

21/12
21/12

श्री व्ही. आर. मौर्या
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,
डंगनिया– रायपुर प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 13.12.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 17/2016 दिनांक 27.10.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने सूचना का अधिकार के तहत जन सूचना अधिकारी को आवेदन दिनांक 02.11.2015 के माध्यम से **"माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में लंबित गिरजा सोनी विरूद्व छत्तीसगढ़ शासन एंव अन्य प्रकरण क्रमांक WPS/3807/2013 में आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं की जानकारी कंपनी के द्वारा अधिवक्ताओं को नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र/आदेश/अनुबंध/वकालत नामा की प्रति, अभी तक किए गये भुगतान एंव भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन आदेश पत्र"** की प्रति उपलब्ध कराये जाने का लेख किया था। जिसके तारतम्य में जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 06.09.2016 के माध्यम से जानकारी 10 छायापृष्ठों में आवेदक को उपलब्ध करायी गई है, वह अधूरी है, एंव आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के पश्चात् शुल्क के भुगतान पर प्रदान की गई है, जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। अतएव प्रार्थी का प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार कर चाही गई जानकारी/दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु जन सूचना अधिकारी को निर्देशित करें।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./67–68/दिनांक 11.11.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक 24.11.2016 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री सोनी को भी उनके द्वारा प्रदत्त पते पर स्वंय

अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। साथ ही अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गये ई–मेल पर भी सूचना की प्रति की सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई है। उक्त नियत तिथि में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, श्री व्ही. आर. मौर्या, सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह एवं संबंधित प्रभाग से श्री पी.एस.परिहार सहायक प्रबंधक (विधि) उपस्थित तथा अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी अनुपस्थित रहे। फलस्वरूप अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी। अतएव अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क रखने बाबत् न्यायोचित अवसर (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 09.12.2016 को कक्ष क्रमांक जी–11 में नियत की गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी एंव प्रतिअपीलार्थी को पत्र क्रमांक 74–75 दिनांक 26.11.2016 के माध्यम से दी गई। साथ ही अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गये ई–मेल पर भी सूचना की प्रति की सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई।

निर्धारित तिथि में प्रतिअपीलार्थी एवं संबंधित प्रभाग से सहायक प्रबंधक (विधि) उपस्थित हुए तथा अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित रहें। अपीलार्थी श्री सोनी के द्वारा दिनांक 30.11.2016 को ई–मेल के द्वारा सूचित किया गया कि वह सुनवाई तिथि में उपस्थित होने में असमर्थ है, अतएव प्रकरण में उचित निर्णय दिया जाये। अतएव प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 09.12.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक श्री जयगोपाल सोनी का आवेदन दिनांकित 02.11.2015 जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा.सं.) कार्या0– मुख्य अभियंता (मा.सं.) छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या, रायपुर के द्वारा धारा (6) की उपधारा (3) के अंतर्गत अंतरित प्रकरण के अंतर्गत इस कार्यालय में दिनांक 29.12.2015 को प्राप्त हुआ है। उक्त चाही गई जानकारी उपमहाप्रबंधक (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 4107 दिनांक 31.12.2015 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में उपमहाप्रबंधक (विधि), होल्डिंग कंपनी द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 174 दिनांक 27.01.2016 के माध्यम से जानकारी 10 छायापृष्ठों में उपलब्ध करायी गई। तद्पश्चात् निर्धारित समय–सीमा के भीतर अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) के तहत् रूपये 2/–प्रति पृष्ठ की दर से कुल 10 पृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 20/–मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् आवेदक को उनके द्वारा दिये गये पते पर पत्र क्रमांक 254 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा सूचित किया गया। अतएव आवेदक द्वारा अभिलेख/दस्तावेज शुल्क रूपये 20/–मात्र का भुगतान भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा किया गया। तद्पश्चात् आवेदक श्री जयगोपाल सोनी को 10 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उनके द्वारा प्रदत्त पते पर पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 06.09.2016 के द्वारा उपलब्ध करायी गई।

उल्लेखनीय है कि कार्या0–उपमहाप्रबंधक (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर से प्राप्त जानकारी ही आवेदक श्री सोनी को उपलब्ध करायी गयी है। जहॉ तक आवेदक का प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु आधार कंडिका क्रमांक 01 से 04 का संबंध है आवेदक को उक्ताशय के संबंध में पूर्व में ही इस कार्यालय के पृथक–पृथक पत्र क्रमांक 1968 दिनांक 17.06.2016 एंव पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 06.09.2016 तथा पत्र क्रमांक 7963 दिनांक 27.09.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराते हुए वस्तुस्थिति से अवगत करायी जा चुकी है।

(5) उक्त निर्धारित सुनवाई तिथि 09.12.2016 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो तथा संबंधित प्रभाग से श्री पी.एस.परिहार ,सहायक प्रबंधक (विधि) उपस्थित हुए एंव अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात् प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि उन्हे वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा पूर्णतः उपलब्ध नही करायी गई है, जो सही परिलक्षित होता है। उक्त तिथि को प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि उपमहाप्रबंधक (विधि) होल्डिंग कंपनी के द्वारा वांछित जानकारी 10 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई, जिसे पूर्णतः आवेदक श्री सोनी को उपलब्ध कराया गया है। चूंकि उक्त जानकारी (विधि) कार्यालय के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया है अतएव जानकारी अपूर्ण है यह संबंधित प्रभाग ही स्पष्ट कर सकते है। तत्पश्चात् अन्य कोई जानकारी शेष है तो जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक को उपलब्ध कराया जा सकता है। उक्ताशय के संदर्भ में संबंधित प्रभाग से श्री परिहार सहायक प्रबंधक (विधि) के द्वारा प्रकरण पर पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक श्री सोनी को वांछित जानकारी उपलब्ध करायी गई है, किंतु आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए जानकारी अपूर्ण है का उल्लेख प्रथम अपील आवेदन में किया गया हैं। अतएव प्रकरण का अवलोकन कर शेष जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी पूर्णतः उपलब्ध नही करायी गई है। जैसा कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा संबंधित प्रभाग (विधि) से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया और जो जानकारी उन्हे प्राप्त हुआ है उसे पूर्णतः अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करायी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी वही जानकारी आवेदनकर्ता को उपलब्ध करा सकता है जो कि उसके पहुंच के अंदर है।

जहॉ तक अपीलार्थी का प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु आधार कंडिका क्रमांक 01 से 04 का संबंध है, उक्ताशय के संबंध में प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका क्रमांक 04 के पैरा क्रमांक 02 में की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य है।

अतएव प्रकरण को देखते हुए यह प्रतिपादित होता है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। किन्तु संबंधित कार्यालय (विधि) जहाँ जानकारी उपलब्ध है के द्वारा पूर्णतः जानकारी प्रतिअपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध नही करायी गयी है। अतएव विधि प्रभाग द्वारा जानकारी/दस्तावेज पूर्ण रूप से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को कार्यवाही हेतु उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई और अपीलार्थी को जानकारी पूर्णतः उपलब्ध नही करायी जा सकी, जो उचित वह विधि सम्मत नही है। अतएव भविष्य में सूचना का अधिकार से संबंधित समय–सीमा प्रकरणों पर उचित कार्यवाही कर पूर्ण जानकारी प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायी जावे।

जहॉ तक अपीलार्थी की अपील का प्रश्न है पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी वांछित जानकारी पूर्णतः पाने का हकदार है। तद्नुसार यह अपील स्वीकार की जाती है और संबंधित प्रभाग सलाहकार (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर को सलाह दी जाती है कि वे 07 दिवस के अन्दर प्रकरण का सूक्ष्मताः से अवलोकन कर अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी जो भी कार्यालय में उपलब्ध है, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करावे, साथ ही प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निदेर्शित किया जाता है कि प्राप्त जानकारी जितने भी छायापृष्ठों में उपलब्ध हो अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी को 10 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक से निःशुल्क उपलब्ध करावे।

उपरोक्तानुसार प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को उल्लेखित पैरा में निर्देशों का पालन समयावधि में करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रथम अपील पंजीयन क्रमांक 17/2016 दिनांक 27.10.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

सही

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –17/2016/ 77 रायपुर, दिनांक 13/12/2016

प्रतिलिपिः–

1 जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2 सलाहकार (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3 श्री जयगोपाल सोनी, फ्लैट नंबर– 5274 विजया गार्डन्स, बारीडीह जमशेदपुर–831017 को सूचनार्थ प्रेषित।
4 मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

Regd. Office : 2nd Floor, Vidyut Sewa Bhawan, Danganiya, Raipur – 492013(C.G.)
Telephone – 2574700, Fax – 0771-2574157, Website : www.cseb.gov.in, email : hr.csphcl@cseb.gov.in